संख्याः– /XIV–1/18–5(02)/2017

प्रेषक,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,उत्तराखण्ड,अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून, दिनॉक 13 मार्च फरवरी, 2018

विषयः सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी न्यायाधिकरण के मंहगाई मद संख्या–03 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्याः–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017, पत्र सख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 एवं पत्र संख्या–1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या–834/निया0/पुनर्विनियोग/2017–18 दिनांक 08 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष में शासनादेश संख्याः–318/XIV-1/2017-5(2)/2017 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 एवं शासनादेश संख्या–926/XIV-1/2017-5(2)/2017 दिनांक 31 जलाई, 2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि में से संलग्न बी0एम0–9 प्रपत्रानुसार ₹23,00,000/– (₹ तेईस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न निर्धारित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
(2) धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
(3) धनराशि व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
(4) मित्तव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
(5) वित्तीय उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को ससमय उपलब्ध करा दिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का दिनॉक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग किया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2425–सहकारिता–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–05–सहकारिता न्यायाधिकरण–03 मंहगाई भत्ता के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या–200/XXVII-4/2018 दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–बी0एम0प्रपत्र–9

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुनदरम)
सचिव।

संख्या:–258(1)/XIV-1/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ, देहरादून।
2. सचिव, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनु सचिव।